न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 886 सन 2021
अनवान :–

1. हरिपाल पुत्र बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

ला

बनाम

1. बलराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर(फोत)
2. विनोद पुत्र बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजपति पत्नी दलीप जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. जयवीर पुत्र स्व दलीपकुमार जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
7. विमलादेवी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कृष्णादेवी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. नीमकमल पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. रोशनी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. सरोज पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 14/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 101/101 की कुल 5.3130हैक में से 1/2 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 55/52 की कुल 5.0590हैक में से 1/10 हिस्सा, व रोही मोजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 1.2650हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/31 की कुल 11.1320हैक में से 1/10 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बल्लराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता बलराम पुत्र रामचन्द का देहान्त हो चुका है बलराम पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्र दलीप कुमार के पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बलराम पुत्र लालचन्द के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरास्तन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है एवं मृतक बलराम पुत्र लालचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की बलराम पुत्र लालचन्द जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता बलराम पुत्र रामचन्द का देहान्त हो चुका है बलराम पुत्र रामचन्द के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्र दलीप कुमार के पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बलराम पुत्र लालचन्द के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासतन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है एवं मृतक बलराम पुत्र लालचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 13 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 101/101 की कुल 5.3130हैक में से 1/2 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 55/52 की कुल 5.0590हैक में से 1/10 हिस्सा, व रोही मोजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 1.2650हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/31 की कुल 11.1320हैक में से 1/10 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बल्लराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता बलराम पुत्र रामचन्द का देहान्त हो चुका है बलराम पुत्र रामचन्द के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्र दलीप कुमार के पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बलराम पुत्र लालचन्द के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासतन से प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है एवं मृतक बलराम पुत्र लालचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 101/101 की कुल 5.3130हैक में से 1/2 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 55/52 की कुल 5.0590हैक में से 1/10 हिस्सा, व रोही मोजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 1.2650हैक एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/31 की कुल 11.1320हैक में से 1/10 हिस्सा, भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता बल्लराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी के पिता बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज है वादी के पिता बलराम पुत्र रामचन्द का देहान्त हो चुका है बलराम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पुत्र रामचन्द्र के जायज वारिसान उसके पुत्र /पुत्रीया एवं मृतक पुत्र दलीप कुमार के पुत्र/पुत्रीया है अर्थात बलराम पुत्र लालचन्द के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जो बलराम पुत्र लालचन्द के नाम से दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार विरासतन से प्राप्त करने की अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 वादी की बहने है एवं मृतक बलराम पुत्र लालचन्द की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया गया की उन्होने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम दर्ज किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तो जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायिक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 101/101 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 55/52 की कुल 5.0590हैक में से 1/10 हिस्सा, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/10 हिस्सा व रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 1.2650हैक में वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/3 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/31 की कुल 11.1320हैक में से 1/10 हिस्सा, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/30 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/30 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. हरिपाल पुत्र बलराम जाति कुम्हार निवारी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बलराम पुत्र लालचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर(फोत)
2. विनोद पुत्र बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. राजपति पत्नी दलीप जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व दलीप कुमार जाति कुम्हार निवारी रामगढ तहसील नोहर।
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व दलीप कुमार जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
6. जयवीर पुत्र स्व दलीपकुमार जाति कुम्हार निवारी रामगढ तहसील नोहर।
7. विमलादेवी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
8. कमलेश पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
9. कृष्णादेवी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
10. नीमकमल पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
11. रोशनी पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
12. सरोज पुत्री बलराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 886 सन 2021 निर्णय दिनांक– 15/02/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 101/101 की कुल 2.5300हैक्. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/3 हिस्सा एव रोही मौजा चक 17 डीपीएन के खाता संख्या 55/52 की कुल 5.0590हैक् में से 1/10 हिस्सा, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/10 हिस्सा व रोही मोजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 74/77 की कुल 1.2650हैक् में वादी अकेला 1/3 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/3 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/3 हिस्सा एवं रोही मोजा चक 12 एनटीआर के खाता संख्या 89/31 की कुल 11.1320हैक् में से 1/10 हिस्सा, भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी अकेला 1/30 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/30 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 बहिब 1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/02/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner